

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2021-22, गैर अनुसूचित क्षेत्र, लेवल प्रथम, विशेष शिक्षा(एच.आई.) अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक: 17-04-2022 को मुख्य चयन जारी कर दिनांक: 27-04-2022 को मुख्य चयन सूची में प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन की कार्यवाही की गई थी। उक्तानुसार प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों के पात्रता जांच की कार्यवाही संबंधित जिले की जिला परिषद स्तर पर करवाई गई थी जिसमें से निम्नांकित अभ्यर्थी जो कि विशेष चयन वर्ग के प्रमाण पत्र के आधार पर अपात्र किये गये थे, का चयन विभागीय आदेश दिनांक: 13/01/22 से निरस्त किया गया है।

कार्मिक विभाग की राय दिनांक: 08-02-2019 के क्रम में शासन के पत्र क्रमांक पं.5(18)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांक: 12-02-2019 से दिये गये मार्गदर्शन अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों का उक्त भर्ती अन्तर्गत विशेष चयन वर्ग के प्रमाण पत्र के आधार पर अपात्र पाये जाने पर उनके स्वयं की मूल श्रेणी में अन्तिम चयनित व्यक्ति से मैरिट में उच्च होने के कारण उनके नाम के सामने अंकित श्रेणी में पुनः प्रोविजनल चयन किया जाकर जिला आवंटित किया जाता है :-

Sr No	NEW MERIT NO	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Category	SELECTION CATEGORY			NEW Allotted District
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	61 A	202218227102	SIYARAM GURJAR	KALURAM GURJAR	10-01-2001	Male	MBC NCL	UR	GEN		TONK

उक्त भर्ती अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल चयनित उक्त अभ्यर्थियों का जिला आवंटन तथा नियुक्ति/पदस्थापन सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 20743/2021 देवेश कुमार शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य कनेक्टेड याचिकाएँ, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन डी.बी. सिविल (पीआईएल) रिट याचिका संख्या 2487/2022 एबीवीपी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा समान विषयक दायर अन्य कनेक्टेड याचिका संख्या 5078/2022, 4721/2022, 5079/2022, 5076/2022, 5077/2022 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में उक्त भर्ती के संबंध में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेगी।

(गौरव अग्रवाल)

I.A.S.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.)

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-प्रारं/नियु-प्रको/नियु-2/982/अ.भ.2021-22/ले-1/गैर.अनु./वि.शि./2022 दिनांक: 13/01/22
प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उपायुक्त, शालादर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
7. जिला शिक्षा अधिकारी(मु.), प्रारम्भिक शिक्षा.....
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(विधि) जोधपुर/जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर